[2019] 5 एस. सी. आर. 21

गंगा प्रसाद महतो

बनाम्

बिहार राज्य और अन्य।

(आपराधिक अपील संख्या 526/2019)

26 मार्च, 2019

[अभय मनोहर सप्रे और दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्तिगण]

दंड संहिता, 1860:

धारा376-बलात्कार-निचली अदालतों द्वारा दोषसिद्धि-अपील पर अभिनिर्धारित किया गया:मामले के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे मामले को साबित करने में विफल रहा-आरोपी बरी होने का हकदार है।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया।

कथित घटना के बाद चिकित्सक ने शिकायतकर्ता की जांच नहीं की।किसी भी चिकित्सा जांच के अभाव में, अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में विचारण में किसी भी ,चिकित्सक की जांच नहीं की।यह विवादित नहीं था कि शिकायतकर्ता द्वारा अतीत में अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायतें की जा रही थीं और बाद में ऐसी शिकायतें झूठी पाई गईं।यह भी विवादित नहीं था कि अपीलार्थी और अभियोजक के पति के बीच दुश्मनी थी, जिसके कारण उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे।यह भी प्रमाण में आया था कि अभियोजक को उन लोगों के खिलाफ इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाकर सभी व्यक्तियों को फंसाने की आदत थी, जिनके साथ उसका या उसके पति का

किसी भी तरह का विवाद था।कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और जिसे गवाह के रूप में उद्धृत किया गया था, यानी पीडब्लू-2 एक आकस्मिक गवाह था जिसकी गवाही पर बलात्कार का आरोप साबित नहीं किया जा सका।जहाँ तक शिकायतकर्ता के पति पीडब्लू-1 का संबंध है, उसने स्वीकार किया कि वह बाहर था और घटना के अगले दिन सुबह गाँव लौट आया। उपरोक्त कारणों के आलोक में, अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ शिकायतकर्ता (पीडब्लू-3) द्वारा कथित बलात्कार के मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है।अपीलार्थी को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। [पैरा 11,12 और 14] [23-सी-जी; 24-बी]

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 526/2019

आपराधिक अपील (एस. जे.) संख्या 251/2002 में पटना उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2014 से

अपीलार्थी के लिए अधिवक्तागण रजनीश कुमार, अमरेंद्र सिंह, शांतनु कुमार, अधिवक्ता

उत्तारदातओ के लिए अभिनव मुखर्जी, सुश्री बिहू शर्मा, सुश्री प्रतिष्ठा विज, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे, द्वारा दिया गया।

निर्णय

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील 2002 की दंड प्रक्रिया संहिता संख्या 251 में पटना के उच्च क्षेत्राधिकार द्वारा दिनांक 30.01.2014 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा उच्च क्षेत्राधिकार ने इसमें अपीलार्थी द्वारा दायर अपील

को खारिज कर दिया और आदेश दिनांक 24.04.2022 4 वें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समस्तीपुर के सत्र परीक्षण संख्या-233 वर्ष 1999।

3. अपील में एक छोटी बात शामिल है जैसा कि ऊपर बताए गए तथ्यों से स्पष्ट होगा।

4. अपीलार्थी पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे इसमें इसके पश्चात् भारतीय दंड संहिता कहा गया है) की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए अभियोजित और अंततोगत्वा दोषसिद्ध किया गया और सेशन न्यायाधीश द्वारा 7 वर्ष के लिए कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और दंड को बरकरार रखा। अपीलकर्ता (अभियुक्त) अब अपनी समवर्ती दोषसिद्धि/दंड के विरुद्ध इस न्यायालय में अपील की है।

5. इसलिए, इस अपील में विचार करने के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या नीचे के दो न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा-376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अवीसकर्ता को दोषी ठहराने में उचित थे।

6. अभियोजन गवाह-3 ने 15.12.1997 को शिकायत दर्ज की कि पिछली रात लगभग 8.00 बजे अपीलकर्ता उसके घर में घुस गया जब वह अकेली थी और पिस्तौल दिखाकर उसे धमकी दी और उसके साथ बलात्कार किया। सारांश में, यह प्राथमिकी में आरोप था, जो घटना के अगले दिन अभियोजन गवाह-3 द्वारा दर्ज किया गया था।

7. अभियोजन पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की।हरि नारायण सिंह (पीडब्लू नंबर 1) शिकायतकर्ता का पति है। राम उदगर सिंह (पीडब्लू-2) शिकायतकर्ता के घर के पास रहने वाला व्यक्ति होने का दावा करता है और पीडब्लू-3 शिकायतकर्ता (अभियोक्त्री) है।

8. जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, सेशन न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराते हुए अभियोजन पक्ष के तीन गवाहों के साक्ष्य पर भरोसा रखा।

9. पक्षकारों के विद्वत वकील को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम अपील को स्वीकार करने और आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए विवश हैं।

10. हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन अपीलार्थी के खिलाफ शिकायतकर्ता के कहने पर कथित बलात्कार के मामले को साबित करने में विफल रहा है (अभियोजन साक्षी- 3)।

यह हम निम्नलिखित कारणों से कहते हैंः

11. पहला, कथित घटना के बाद डॉक्टर द्वारा शिकायतकर्ता की जांच नहीं की गई थी। दूसरा, किसी भी चिकित्सा जांच के अभाव में, अभियोजन पक्ष ने उनके मामले के समर्थन में मुकदमे में किसी भी डॉक्टर का परीक्षण नहीं किया-तीसरा, यह विवादित नहीं था कि शिकायतकर्ता द्वारा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी इसी तरह की शिकायतें की जा रही थीं। चौथा, यह भी विवादित नहीं था कि अपीलार्थी और अभियोक्त्री के पति के बीच शत्रुता थी, जिसके कारण उनके संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे, पांचवां, यह भी साक्ष्य में आया था कि अभियोक्त्री को उन लोगों के खिलाफ, जिनके साथ वह या/और उसके पति के किसी भी प्रकार के विवाद थे, इस तरह के ग्राम आरोप लगाकर सभी व्यक्तियों को फंसाने की आदत थी। छठा- कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और जिसे गवाह के रूप में उध्दत किया गया था यानि अभियोजन साक्षी- एक मौका गवाह था, जिसकी गवाही पर बलात्कार का आरोप स्थापित नहीं किया जा सका और अंत में जहाँ तक शिकायतकर्ता के पति अभियोजन साक्षी-1 का संबंध है, उसने स्वीकार किया कि वह दूर था और घटना के अगले दिन सुबह गाँव लौट आया।

12. उपर्युक्त सात कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि अभियोजन अपीलार्थी के खिलाफ शिकायतकर्ता द्वारा कथित बलात्कार के मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। दूसरे शब्दों में, अभियोजन साक्षी पर अपीलार्थी द्वारा बलात्कार के अपराध के किए जाने को साबित करने के लिए

अभियोजन पक्ष द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है और पेश किया गया साक्ष्य अपीलार्थी के खिलाफ बलात्कार के मामले को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

13. इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलार्थी को दोषी ठहराने में नीचे के दोनों न्यायालय उचित नहीं थे और उन्हें सात साल के लिए कठोर कारावास का दंड दिया गया था।वह बरी होने का हकदार था।

14. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार अनुज्ञात की जाती है। आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है। अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया जाता है। तदनुसार उसे मुक्त किया जाता है। उसके जमानत बांड तदनुसार जारी किए जाते हैं।

[अभय मनोहर सप्रे., न्यायमूर्ति]

[दिनेश माहेश्वरी, न्यायमूर्ति]

नई दिल्ली

26 मार्च, 2019

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।